[2018] 13 एस. सी. आर. 517

गोपाल झा

वी.

भारत का सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय

(2018 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 745)

अक्टूबर 25,2018

[ए. के. सिकरी और अशोक भूषण, जे. जे.]

सुप्रीम कोर्ट वकीलों के चैंबर (आवंटन और अधिभोग) नियम सुप्रीम कोर्ट ने आवेदन आमंत्रित किए

31 अक्टूबर, 2017 और 16 मई, 2018 को वकीलों के कक्षों का आवंटन जिसमें याचिकाकर्ताओं, अधिवक्ताओं द्वारा चुनौती दिए गए कक्षों के आवंटन के लिए विभिन्न पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से कुछ अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड (एओआर) हैं, जबकि अन्य इस श्रेणी में आते हैं।

'अन्य अधिवक्ताओं'/'अभिलेख पर गैर-अधिवक्ता'-अन्य बातों के साथ-साथ ब्लॉक अवधि निर्धारित करने के लिए चुनौती (अवधि जिसके लिए दाखिल करने और/या उपस्थिति के पात्रता मानदंडों को पूरा करना होता है)-आयोजितः न्यायाधीशों की आवंटन समिति (जिसकी सिफारिशों पर, अधिवक्ताओं को माननीय सीजेआई द्वारा कक्ष आवंटित किए जाते हैं) द्वारा 1 जून 2011 से 30 जून 2016 तक ब्लॉक अवधि निर्धारित करने के लिए लिए गए निर्णय में तर्क है जैसा कि 16 मई 2018 के संशोधित नोटिस में निहित है। ब्लॉक अवधि तय करना जो आवंटन के लिए आवेदन करने के लिए सूचना के निकट है-इसलिए, वर्ष 2004 से कट-ऑफ तिथि शुरू करना अस्वीकार्य है-हालाँकि, जब न्यायाधीशों की आवंटन समिति द्वारा ब्लॉक अवधि तय की गई थी और आवेदन करने की तारीख बढ़ा दी गई थी, तो केवल एक संशोधन किया जा सकता है, जो ब्लॉक अवधि को 1 अक्टूबर, 2013 से 30 सितंबर, 2018 तक रखा जा सकता है-इस अवधि के दौरान आवेदक को उपस्थिति या फाइलिंग के मानदंडों को पूरा करना होगा-इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं का अनुरोध है कि सदस्यता

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (एस. सी. ए. ओ. आर. ए.) को कक्षों के आवंटन के लिए पर्याप्त पात्रता माना जाना चाहिए।

अस्वीकृत-सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एस. सी. बी. ए.) का सदस्य होने की आवश्यकता में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं

कक्षों के आवंटन के लिए आवेदन जमा करना-भारतीय संविधान कला। 14 .

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रिट याचिकाओं का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 ब्लॉक अवधि में बदलावः एक सुझाव था

ऐसा किया गया है कि पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए 730 दिनों की अवधि को 2004 में अंतिम कट-ऑफ तिथि से 30 सितंबर, 2018 तक गिना जाएगा। इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह काफी दूर है और इसका किसी अधिवक्ता की सक्रिय अभ्यास आवश्यकता से कोई संबंध नहीं हो सकता है, जो उस तारीख के साथ निकटता रखता है जब आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस बात पर शायद ही जोर दिया जाना चाहिए कि चैंबर के आवंटन के लिए पूर्व-आवश्यकता यह है कि

संबंधित अधिवक्ता सक्रिय व्यवहार में होना चाहिए। यही कारण है कि सदस्य अधिवक्ताओं के लिए पात्रता मानदंड ब्लॉक वर्ष में प्रति वर्ष 50 उपस्थिति की आवश्यकता है; एओआर के लिए, यह दो साल के लिए एक वर्ष की अवधि में न्यूनतम 20 फाइलिंग या 50 उपस्थिति और 730 दिनों की अवधि में न्यूनतम 40 फाइलिंग या 100 उपस्थिति है। हालाँकि, यदि कट-ऑफ तिथि वर्ष 2004 से शुरू होती है, तो यह उद्देश्य कई मामलों में खो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप उन लोगों को कक्ष आवंटित किए जा सकते हैं जो आज तक सक्रिय नहीं हैं। ऐसे मामले हो सकते हैं जहां गैर-एओआर या एओआर पूरा कर सकता है।

कक्ष का आवंटन। यह ऐसे अधिवक्ताओं को लाएगा जो हाल के दिनों में सक्रिय अभ्यास में नहीं हैं। ऐसी स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। खण्ड अवधि निर्धारित करने के लिए न्यायाधीशों की आवंटन समिति द्वारा लिए गए निर्णय में तर्क है 1 जून, 2011 से 30 जून, 2016 तक, जैसा कि 16 मई, 2018 के संशोधित नोटिस में निहित है। ब्लॉक अवधि तय करना जो आवंटन के लिए आवेदन करने के लिए सूचना के निकट है। इसलिए, वर्ष 2004 से कट-ऑफ तिथि शुरू करना अस्वीकार्य है। चूंकि, कुछ समय बीत चुका है जब ब्लॉक अवधि द्वारा तय की गई थी

न्यायाधीशों की आवंटन समिति और आवेदन करने की तारीख बढ़ा दी गई है, केवल एक संशोधन जो किया जा सकता है वह ब्लॉक अवधि को 1 अक्टूबर, 2013 से 30 सितंबर, 2018 तक रखना है। यह इस अवधि के दौरान है कि आवेदक को ऊपर बताए गए मानदंडों और उपस्थिति या फाइलिंग को पूरा करना होगा। [पारस 24,25] [537-ए-एच] गोपाल झा बनाम।

भारत का सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय

1.2 चैंबरों के आवंटन के लिए आवेदन आखिरी बार वर्ष 2004 में आमंत्रित किए गए थे और उसके बाद काफी अवधि समाप्त हो गई है।

इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में ऐसी स्थिति न हो, ऐसे आवेदनों को आमंत्रित करने की सूचना कम से कम तीन साल में एक बार होनी चाहिए। [पैरा 26] [538-बी-सी]

2. आवंटन नियमों के नियम 3 की वैधताः एस. सी. ए. ओ. आर. ए. का सदस्य बनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के नियमों और विनियमों के नियम 4 के अनुसार रिकॉर्ड एसोसिएशन पर अधिवक्ता

(एस. सी. ए. ओ. आर. ए.) स्वयं, एक अधिवक्ता को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एस. सी. बी. ए.) का सदस्य होना चाहिए। इसलिए, जब तक कोई अधिवक्ता ए. ओ. आर. और एस. सी. बी. ए. का सदस्य नहीं है, वह एस. सी. ए. ओ. आर. ए. का सदस्य नहीं बन सकता है। यह आवश्यकता स्वयं इस स्थिति को स्वीकार करती है कि एस. सी. बी. ए. एक छत्र संगठन है और यह भी मान्यता देता है कि

यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 14 पर आधारित तर्क का कोई लाभ नहीं होगा। किसी भी अदालत परिसर में कक्षों के आवंटन के लिए कोई मौलिक अधिकार या कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। कक्षों के आवंटन के लिए आवेदन जमा करने के लिए एस. सी. बी. ए. का सदस्य होने की आवश्यकता में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। [पारस 35-37] [543-C-D; 544-F-G] 3. आवंटन नियमों के नियम 3 में दिल्ली या नई दिल्ली में निवासी की आवश्यकता का प्रिस्क्रिप्शनः ध्यान में रखते हुए

पिछले कुछ वर्षों में बदली हुई परिस्थितियों और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में जिस तरह से विकास हुआ है, सुप्रीम कोर्ट सहित दिल्ली की अदालतों में पेश होने वाले कई वकील दैनिक आधार पर अपने आवासों से आते-जाते हैं जो पड़ोसी राज्यों में आते हैं। यह इस बात पर पुनर्विचार करने का समय है कि क्या आवंटन नियमों के नियम 3 में दिल्ली या नई दिल्ली में निवास की आवश्यकता को बनाए रखने की आवश्यकता है या इसे पड़ोसी राज्यों के कुछ क्षेत्रों में विस्तारित किया जाना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के आसपास के क्षेत्र के काफी करीब हैं। हो सकता है, उच्चतम न्यायालय से एक विशेष रेडियल दूरी तय करके, समस्या से निपटा जा सकता है। चूंकि इसके लिए कई पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता होगी, इसलिए यह मुद्दा हो सकता है

न्यायाधीशों की आवंटन समिति द्वारा विचार किया गया। इस पर विचार करने के बाद समिति को इस मुद्दे पर अंतिम विचार करना है। सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करें। [पारस 39,40] [545-बी,

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शायरा बानो बनाम। भारत संघ (2017) 9 एससीसी 1: [2017] 7 एससीआर 797; सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और अन्य। वी. बी. डी. कौशिक (2011) 13 एससीसी 774: [2011] 15 एस. सी. आर. 736; पूर्व-कप्तान। हरीश उप्पल बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. (2003) 2 एससीसी 45: [2002] 5 पूरक। एससीआर 186; विनय बालचंद्र जोशी बनाम। महापंजीयक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय और अन्य। (1998) 7 एस. सी. सी. 461 संदर्भित है।

मामला कानून संदर्भ

[2017] 7 एससीआर 797

संदर्भित किया गया है

पैरा

27

[2011] 15 एससीआर 736

संदर्भित किया गया है

पैरा

28

[2002] 5 पूरक। एस. सी. आर. 186 संदर्भित

पैरा

28

(1998) 7 एस. सी. सी. 461

संदर्भित किया गया है

पैरा

34

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः लेखन याचिका (सिविल)

2018 का सं. 745

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

के साथ

लिखित याचिका (सिविल) सं। 772 , 844 , 917 , 854 , 975 , 947 , 941 , 998 , 997 , 1063 , 1058 और 2018 का 959।

मनिंदर सिंह, एएसजी, केवी विश्वनाथन, एस. आर. सिंह,

आर. सी. मिश्रा, विकास सिंह, जयंत के. सूद, वरिष्ठ अधिवक्ता। , गोपाल शंकरनारायणन, सुश्री पूजा धर, सूर्य प्रकाश, सुश्री ऐश्वर्या केन, सुश्री गायत्री वर्मा, जावेद महमूद राव, दिलीप रघुवंशी, सुश्री ईशा सिंह, गौतम सिंह, कुमार रंजन, आदर्श वर्मा, वरुण के. चोपड़ा, कौशिक पोद्दार, अशोक कुमार, प्रवीण स्वरूप, अनन्या मिश्रा, सुधांशु एस. चौधरी, प्रमोद दयाल, निकुंज दयाल,

सुश्री पायल दयाल, बी. रघुनाथ, आर. वेंकटरमन, श्रीराम पी.,

ए. लक्ष्मीनारायणन, अभिमन्यु श्रेष्ठ, सुश्री के. आर. चित्रा, अनिरुद्ध संगनेरिया, विक्रम गुलाटी, अन्नम डी. एन. राव, विक्रांत यादव, मनीष गोस्वामी, राजीव कुमार, सुश्री अशिता चावला, परंगल पांडे, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

गोपाल झा, याचिकाकर्ता-व्यक्तिगत रूप से।
एम. आर. शमशाद, याचिकाकर्ता-व्यक्तिगत रूप से गोपाल झा बनाम।

भारत का सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. के. सिकरी, जे. 1. इन रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता वकालत करने वाले अधिवक्ता हैं जो यह भी दावा करते हैं कि वे नियमित रूप से वकालत कर रहे हैं

और उच्चतम न्यायालय में उपस्थित होना। उनमें से कुछ अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड (एओआर) हैं, जबकि अन्य इस श्रेणी में नहीं आते हैं। उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता भी नामित नहीं किया जाता है और इसलिए उन्हें 'अन्य अधिवक्ताओं'/'गैर-अधिवक्ता रिकॉर्ड' की श्रेणी में रखा जा सकता है। ये सभी याचिकाकर्ता उच्चतम न्यायालय में वकीलों के चैंबर ब्लॉक में एक कक्ष प्राप्त करने के इच्छुक हैं।

2. इस न्यायालय ने प्रशासनिक पक्ष से उच्चतम न्यायालय के वकीलों के कक्ष (आवंटन और अधिभोग) नियम (इसके बाद) बनाए हैं।

जिसे 'चैंबर आवंटन नियम' के रूप में संदर्भित किया जाता है) जो सर्वोच्च न्यायालय के परिसर के भीतर कक्षों के आवंटन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। ये नियम आवंटन के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करते हैं - कक्ष। इन नियमों के अनुसार, भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ने न्यायाधीशों की आवंटन समिति का भी गठन किया है। इसमें सीजेआई द्वारा नामित इस न्यायालय के माननीय न्यायाधीश शामिल हैं। एक अन्य समिति भी है, जिसकी अध्यक्षता भारत के अटॉर्नी जनरल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एस. सी. बी. ए.) के पदाधिकारी के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (एस. सी. ए. ओ. आर. ए.) करती है। आवंटन समिति (ओं) की सिफारिशों के आधार पर, सीजेआई आमतौर पर अधिवक्ताओं को कक्ष आवंटित करता है।

3. वर्ष 1995 में, आवंटन समिति द्वारा ए. ओ. आर., अभिलेख पर गैर-अधिवक्ताओं को कक्षों के आवंटन के लिए एक सिफारिश की गई थी।

(अन्य अधिवक्ता) और वरिष्ठ अधिवक्ता 7 के अनुपात में: 2 : 1 . यह सीजेआई द्वारा 29 अगस्त, 1995 को सिफारिश स्वीकार कर ली गई थी। तब से, आवंटन उपरोक्त तीन श्रेणियों के अधिवक्ताओं के अनुपात में किया जाता है।

4. प्रासंगिक चैंबर आवंटन नियम, जिनके बारे में हम इन याचिकाओं में चिंतित हैं, नीचे पुनः प्रस्तुत किए जा सकते हैं:

" 2. चैंबरों का आवंटन भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त एक समिति द्वारा किया जाएगा और ऐसे सभी आवंटन भारत के मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन के अधीन होंगे।

3. उच्चतम न्यायालय के ऐसे अधिवक्ताओं को आवंटन किया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के सदस्य हैं जो नियमित रूप से उच्चतम न्यायालय में वकालत करते हैं और जो उच्चतम न्यायालय में रहते हैं।

दिल्ली या नई दिल्ली।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के सदस्य आवेदकों को कक्षों का आवंटन निम्नलिखित आदेश में किया जाएगाः

((i) अभिलेख पर अधिवक्ता जो इस न्यायालय में नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं;

((ii) दिल्ली/नई दिल्ली में निवासी गैर-अधिवक्ता और जो मुख्य रूप से और नियमित रूप से इस न्यायालय में वकालत कर रहे हैं; और (iii) दिल्ली/नई दिल्ली में रहने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता और जो मुख्य रूप से और नियमित रूप से इस न्यायालय में वकालत कर रहे हैं।

बशर्ते कि आबंटन तदनुसार किया जाएगा

निम्नलिखित क्रम में रखी गई सूची के साथः

पहली चार रिक्तियां अधिवक्ताओं को-ऑन-रिकॉर्ड आवंटित की जाएंगी।

गैर-अधिवक्ताओं के लिए पाँचवीं रिक्ति-ऑन-रिकॉर्ड, अधिवक्ताओं के लिए छठी, सातवीं और आठवीं रिक्ति-ऑन-रिकॉर्ड, गैर-अधिवक्ताओं के लिए नौवीं रिक्ति-ऑन-रिकॉर्ड और वरिष्ठ के लिए दसवीं रिक्ति

अधिवक्ताओं और चक्र को उपरोक्त क्रम में दोहराया जाएगा।

XX

XX

XX

18. मुख्य न्यायाधीश अपने विवेकाधिकार पर किसी भी आवंटन को रद्द कर सकता है जहां कोई आवंटनकर्ता आवंटन की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है या आवंटन को नियंत्रित करने वाले किसी भी नियम का या किसी अन्य कारण से उल्लंघन करता है।

XX

XX

XX

(घ) आबंटित व्यक्ति के उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन का सदस्य नहीं रहने पर; या (ई) राज्य बार काउंसिल की सूची से अलाट्स का नाम हटाए जाने पर; या

(च) भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित आवंटन समिति के आदेशों का पालन नहीं करने वाले चैंबर के आवंटन पर; या पी. ए. एल. जे. एच. ए. v.

(छ) किसी आबंटित व्यक्ति की मृत्यु पर; या

(ज) आबंटित व्यक्ति को उच्च न्यायालय की पीठ में पदोन्नत किए जाने पर न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय।

बशर्ते कि आबंटियों के नाम पहले रखे जाएँ

प्रतीक्षा सूची की संबंधित श्रेणी में, यदि ऐसा सदस्य

उसकी सेवानिवृत्ति अभ्यास में वापस शामिल हो जाती है और सक्रिय हो जाती है

उनके आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य आवंटन के लिए।

XX

XX

XX

23. भारत का मुख्य न्यायाधीश समय-समय पर ऐसा कर सकता है

इन नियमों में संशोधन और परिवर्धन जो आवश्यक हों।

और उपयोगी।

24. यदि इन नियमों की व्याख्या के बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है,

भारत के मुख्य न्यायाधीश का निर्णय अंतिम होगा। ”

5. यह उल्लेख किया जा सकता है कि इन कक्षों को आवंटन है -

इसकी उपलब्धता पर और उस समय, आवंटन के लिए आवेदन

एम्बर आमंत्रित किए जाते हैं। यह अभ्यास पिछली बार में आयोजित किया गया था

2004. इसके बाद, यानी तेरह वर्षों के अंतराल के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने

अक्टूबर में वकीलों के कक्षों के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए

017 और 16 मई, 2018 आवेदन आमंत्रित करने वाले नोटिस के माध्यम से जहाँ

योग्यता मानदंड भी निर्धारित किए गए थे। 31 अक्टूबर के नोटिस में,

निम्नलिखित पात्रता मानदंडों का उल्लेख किया गया थाः

" वरिष्ठ अधिवक्ताओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड जो उच्चतम न्यायालय के सदस्य हैं

बार एसोसिएशन और निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करें वकीलों के कक्षों के आवंटन के लिए मौजूदा पैनलों को अद्यतन करनाः

1. वरिष्ठ अधिवक्ता

(क) जो मुख्य रूप से और नियमित रूप से उच्चतम न्यायालय में वकालत कर रहे हैं।

(ख) जिनके पास न्यूनतम 50 उपस्थिति होनी चाहिए (प्रवेश और

प्रत्येक वर्ष आई. ए./Cr.M.P.s) को छोड़कर नियमित सुनवाई के मामले

(पंजीयक की अदालत में उपस्थिति को नहीं लिया जाएगा। विचार करें)।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(क) जिसने 01.06.2011 और 30.06.2016 (मामलों के एक समूह को एक ही मामले के रूप में माना जाएगा) के बीच किसी भी लगातार दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष औसतन 20 मामलों (यानी प्रवेश/नियमित मामले और आई. ए./Cr.M.Ps और सरकारी फाइलिंग नहीं) पर दायर किया होगा (या उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थिति दर्ज की होगी)।
(ख) उपरोक्त आवश्यकताओं का पालन किए जाने के अधीन, आवंटन वरिष्ठता की तारीख के अनुसार किया जाएगा।

एओआर के रूप में पंजीकरण की तिथि।

3. जूनियर एडवोकेट (गैर-एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड)
(क) जो मुख्य रूप से और नियमित रूप से उच्चतम न्यायालय में वकालत कर रहे हैं।

(ख) जिन्होंने कम से कम पचास उपस्थिति दर्ज की होगी
(आई. ए. और आई. डी. 1.) को छोड़कर प्रवेश और नियमित सुनवाई के मामले प्रत्येक वर्ष के बीच किसी भी लगातार दो वर्षों के लिए

01.06.2011 और 30.06.2016।

(ग) उपरोक्त दो आवश्यकताओं का पालन किए जाने के अधीन, ऐसे व्यक्तियों की वरिष्ठता सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सक्रिय सदस्यता में उनके वर्तमान प्रवेश की तारीख पर आधारित होगी।

6. जैसा कि उपरोक्त से स्पष्ट है, एओआर के लिए पात्रता शर्तों में से एक किन्हीं दो मामलों के दौरान प्रति वर्ष बीस मामले दर्ज करना था।

1 जून, 2011 से 30 जून, 2016 के बीच लगातार वर्षों में और अन्य अधिवक्ताओं के लिए, 1 जून, 2011 से 30 जून, 2016 के बीच किसी भी लगातार दो वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष 50 उपस्थिति। इसके अलावा, जहां तक वरिष्ठता का संबंध है, एओआर के संबंध में, यह एओआर के रूप में पंजीकरण की तारीख से होना था। अन्य अधिवक्ताओं के लिए, वरिष्ठता एस. सी. बी. ए. की सक्रिय सदस्यता में उनके प्रवेश की तारीख पर आधारित होनी चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए, आवंटन उनकी नियुक्ति की तारीख को प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है।

वरिष्ठ अधिवक्ता।

7. याचिकाकर्ताओं सहित कुछ अधिवक्ताओं ने श्रेणी के आधार पर एक या अन्य पात्रता शर्तों से व्यथित महसूस किया। जो वे गिर जाते हैं। उन्होंने एस. सी. बी. ए. के साथ-साथ सचिव गोपाल जे. एच. ए. वी. को अभ्यावेदन भेजे।

भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय [ए. के. सिकरी, जे.]

जनरल, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, चैंबरों के आवंटन की पात्रता के लिए मानदंड में बदलाव का अनुरोध करता है। 1 जून, 2011 से 30 जून, 2016 के बीच ब्लॉक अवधि के निर्धारण के संबंध में विशिष्ट शिकायत थी, जिसके लिए फाइलिंग और/या उपस्थिति की आवश्यकता को पूरा करना होता है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, इस मामले को चैंबर द्वारा निपटाया गया था

महान्यायवादी की अध्यक्षता में आवंटन समिति और कुछ संशोधन किए गए। उस आधार पर, एस. सी. बी. ए. ने 15 मार्च, 2018 को अपने सदस्यों के लिए परिपत्र जारी किया, जिसमें परिवर्तनों का उल्लेख किया गया, जिन्हें एस. सी. बी. ए. ने स्वीकार किया।

चैंबर आवंटन समिति। यह परिपत्र इस प्रकार हैः

(iii) स्वप्रमाणित कार्यवाही वेबसाइट से प्रिंट आउट लें। विज्ञान. गव. चैंबर आवंटन के लिए विचार के लिए प्रमाणित प्रति के बजाय पर्याप्त अनुपालन होगा।
(iv) स्वप्रमाणित कार्यवाहियों को निर्धारित नोटरीकृत प्रारूप के साथ दाखिल किया जाएगा (रजिस्ट्री नियत समय में प्रारूप को सूचित करेगी)।

(v) ऑनलाइन आवेदनों के अलावा भौतिक रूप से आवेदन का पूरा सेट रजिस्ट्री में जमा किया जाना चाहिए जिन्हें जमा किया जा सकता है

आवेदकों द्वारा, यदि वे ऐसा चाहते हैं।

(vii) अंतर्वर्ती आवेदन (आई. ए.) या आपराधिक विविध। याचिकाएं (Crl.M.P.) उपस्थिति के साथ-साथ फाइलिंग के लिए भी शामिल हैं,

जैसा कि मामला हो सकता है।

(viii) इसके अलावा, दो या दो से अधिक एओआर की कंपनी के मामले में, सभी एओआर भागीदार अलग-अलग मामलों के साथ चैंबर के आवंटन के लिए अलग-अलग हकदार होंगे (अन्य भागीदारों की सहमति से कि वे अपने व्यक्तिगत आवंटन के लिए मामलों के एक ही सेट का उपयोग नहीं करेंगे)।

(ix) जो सदस्य भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित बी. डी. कौशिक के निर्णयों के आधार पर 2012 से पिछले चुनाव यानी दिसंबर, 2017 तक एस. सी. बी. ए. के मतदाता थे, वे भी चैंबर आवंटन (उपरोक्त किसी भी वर्ष के भीतर) के लिए आवेदन करने के हकदार होंगे।

उल्लिखित अवधि)।

(x) पिछले/पहले के ए. ओ. आर. से एन. ओ. सी. प्राप्त करने के बाद नए वकालतनामे की गणना भी बाद के लिए अलग से की जाएगी।

एओआर।

(xi) कैविएट दाखिल करने की गणना नहीं की जानी चाहिए।

(xii) गैर एओआर के लिए "कनिष्ठ अधिवक्ता" शब्द का उपयोग किसी भी कार्यवाही/अधिसूचना में नहीं किया जाएगा। श्रेणियों को "वरिष्ठ अधिवक्ता", "रिकॉर्ड पर अधिवक्ता" और "अधिवक्ता" के रूप में संदर्भित किया जा सकता है।

(xiv) मध्यस्थता समिति के समक्ष उपस्थिति नहीं होगी गिनती की "।

8. हालाँकि, न्यायाधीशों की आवंटन समिति की राय उपरोक्त कुछ सुझावों के साथ थी। इस पर विचार किया गया

उचित स्तर पर निर्णय लिया गया।

9. इसके बाद 16 मई, 2018 को संशोधित नोटिस जारी किया गया।

न्यौता देने के लिए उच्चतम न्यायालय की प्रशासनिक सामान्य शाखा

वकीलों के कक्षों के आवंटन के लिए अनुदान और पात्रता मानदंड

अधिवक्ताओं की री श्रेणी को निम्नलिखित शब्दों में कहा गया थाः

" 1. वरिष्ठ अधिवक्ता

(क) जो मुख्य रूप से और नियमित रूप से उच्चतम न्यायालय में वकालत कर रहे हैं। (ख) जिनके पास न्यूनतम 50 उपस्थिति होनी चाहिए (आई. ए./Cr.M.P.s को छोड़कर प्रवेश और नियमित सुनवाई के मामले)

जनहित याचिकाओं में अंतरिम आवेदन जो हैं -

* प्रत्येक वर्ष या तो 01.06.2011 और 30.06.2016 के बीच किसी भी लगातार दो वर्षों के लिए या 01.06.2011 और PAL JHA v के बीच किसी भी दो गैर-लगातार वर्षों के लिए विलंब की माफी के

लिए आवेदनों के साथ दायर और डायरी संख्या के साथ न्यायालय में सूचीबद्ध और डायरी संख्या के साथ निपटाई गई विशेष अनुमति याचिकाओं जैसी मूल आवेदन और अदालत द्वारा निर्णय की गई याचिकाएं।

भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय [ए. के. सिकरी, जे.]

30.06.2016 बशर्ते कि लगातार दो वर्षों के दौरान उपस्थित होने के विकल्प का लाभ उठाने वाले संबंधित अधिवक्ता/आवेदक पूरे ब्लॉक अवधि के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की मतदाता सूची में रहे हों। (पंजीयक की अदालत में उपस्थिति पर विचार नहीं किया जाएगा)।

(ग) उपरोक्त दो आवश्यकताओं का पालन किए जाने के अधीन, आवंटन वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में उनके नामित होने की तारीख की प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। 2. अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

(क) जिसने प्रति वर्ष औसतन 20 मामले दायर किए होने चाहिए (या उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थिति दर्ज की होनी चाहिए) (अर्थात प्रवेश /

नियमित मामले और आई. ए./Cr.M.Ps और सरकारी फाइलिंग को छोड़कर और जनहित याचिकाओं में अंतरिम आवेदनों को छोड़कर जो * मूल आवेदन हैं और अदालत द्वारा तय किए गए हैं और ऐसी याचिकाएं जैसे कि विशेष अनुमति याचिकाएं जो देरी की माफी के लिए आवेदनों के साथ दायर की गई हैं और डायरी संख्या के साथ अदालत में सूचीबद्ध हैं और अदालत द्वारा डायरी संख्या के साथ निपटाई गई हैं) हर साल 01.06.2011 और 30.06.2016 के बीच किसी भी लगातार दो वर्षों के लिए या 01.06.2011 और 30.06.2016 के बीच किसी भी दो गैर-लगातार वर्षों के लिए।

30.06.2016 बशर्ते कि लगातार दो वर्षों के दौरान दाखिल करने के विकल्प का लाभ उठाने वाला संबंधित अधिवक्ता/आवेदक पूरे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की मतदाता सूची में रहा हो। ब्लॉक अवधि (मामलों के एक समूह को एक ही मामले के रूप में माना जाएगा)।

(ख) उपरोक्त आवश्यकताओं का पालन किए जाने के अधीन, आवंटन वरिष्ठता की तारीख यानी ए. ओ. आर. के रूप में पंजीकरण की तारीख के अनुसार किया जाएगा। 3 . गैर-अधिवक्ता-चालू-रिकॉर्ड

(क) जो मुख्य रूप से और नियमित रूप से उच्चतम न्यायालय में वकालत कर रहे हैं।

(ख) जिन्होंने कम से कम पचास उपस्थिति दर्ज की होगी

(आई. ए. और आई. डी. 1 को छोड़कर प्रवेश और नियमित सुनवाई के मामले, जनहित याचिकाओं में अंतरिम आवेदनों को छोड़कर जो * मूल आवेदन हैं और अदालत द्वारा तय किए गए हैं और विशेष अनुमति याचिकाओं जैसी ऐसी याचिकाएं दायर की गई हैं। देरी की माफी के लिए आवेदनों के साथ और डायरी संख्या के साथ अदालत में सूचीबद्ध और अदालत द्वारा डायरी संख्या के साथ निपटाया जाता है) प्रत्येक वर्ष या तो 01.06.2011 [2018] 13 एस. सी. आर. के बीच किसी भी लगातार दो वर्षों के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और 30.06.2016 या 01.06.2011 और 30.06.2016 के बीच किसी भी दो गैर-लगातार वर्षों के लिए संबंधित अधिवक्ता/आवेदक को दो गैर-आईडी वर्षों के दौरान उपस्थिति का विकल्प प्रदान किया गया है। लगातार कई साल सुप्रीम कोर्ट की मतदाता सूची में रहा है

पूरे ब्लॉक अवधि के लिए बार एसोसिएशन।

(ग) उपरोक्त दो आवश्यकताओं का पालन किए जाने के अधीन, ऐसे व्यक्तियों की वरिष्ठता उनके कार्यकाल की तारीख पर आधारित होगी।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सक्रिय सदस्यता में वर्तमान प्रवेश।

* (उदाहरण के लिए, मूल आवेदनों को परियोजना प्रस्तावक या स्वयं आवेदक द्वारा ऐसे अंतरिम आवेदनों के लिए संदर्भित किया जा सकता है जो 'टी. एन. गोडावर्मन थिरुमलपद बनाम' नामक जनहित याचिका में दायर किए गए हैं। भारत संघ और अन्य। ' और न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया

इस तरह से) "

10. अधिवक्ताओं की मांग, विशेष रूप से ब्लॉक डी के संबंध में, पूरी नहीं होने पर, एस. सी. बी. ए. ने 18 जुलाई, 2018 को सी. जे. आई. को संबोधित करते हुए मामले को फिर से उठाया, जिसमें कहा गया था कि चैंबरों के आवंटन से संबंधित विंग प्रावधान नहीं थे।16 मई, 2018 को जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि

प्रकोष्ठों के आवंटन के लिए आवेदनः

2. आवश्यक कैलेंडर वर्ष 1 जुलाई से 30 जून के बजाय 1 जनवरी से 31 दिसंबर होगा। 3. सरकारी/राज्य मामलों के अभिलेख पर अधिवक्ताओं द्वारा दाखिल करने की संख्या को पात्रता मानदंड के उद्देश्य से गिना जाएगा।

4. गैर-अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड उपस्थिति मानदंड को पूरा करते हुए,

2016 में अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड बनने के बाद 2 साल से कम समय में दाखिल करने के मानदंडों को पूरा नहीं करते हुए, अधिवक्ता के रूप में उनकी वरिष्ठता के क्रम में अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड के पैनल में शामिल किया जाए।

ऑन-रिकॉर्ड। 5. इसी तरह, ए. ओ. आर. और गैर-ए. ओ. आर. को बाद में 2016 से वरिष्ठ अधिवक्ताओं के रूप में नामित किया गया, जो पात्रता को संतुष्ट करते हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित होने के कालक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पैनल में अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड/गैर-अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड के रूप में मानदंडों को शामिल किया जाना चाहिए। गोपाल झा बनाम।

भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय [ए. के. सिकरी, जे.]

11. यहाँ कुछ याचिकाकर्ताओं ने भी अभ्यावेदन दिया

सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी विशिष्ट शिकायतों को उपरोक्त के अनुसार उठाया16 मई, 2018 की सूचना। उनके अनुसार, क्योंकि उनकी शिकायत नहीं है

इन याचिकाओं का निवारण किया गया है, ये याचिकाएं दायर की गई हैं।

12. इस स्तर पर हम सारणीबद्ध रूप में शिकायतों का उल्लेख कर सकते हैं।

जो इन रिट याचिकाओं में प्रत्येक याचिकाकर्ता द्वारा किए गए हैंः

मांगी गई राहत

एस. एल. नहीं।

कारण शीर्षक

1

गोपाल झा, डब्ल्यू. पी. (सी) नं. ब्लॉक अवधि का परिवर्तन

01.06.2011-30.06.2016

01.01.2005 तक

745/2018

17.10.2017/16.05.2018 तक।

अनिरुद्ध संगनेरिया,

कैलेंडर वर्ष को जनवरी के रूप में लिया जाएगा

2

डब्ल्यूपी (सी) सं. 772/2018

जून से जून के बजाय दिसंबर और

पात्रता की कट-ऑफ अवधि

फाइलिंग उपस्थिति को संशोधित किया जाना है

31.12.2017 इसके बजाय

30.06.2016।

3

कुमार रंजन, डब्ल्यू. पी. (सी) से ब्लॉक अवधि का परिवर्तन

नं. 854/2018

01.06.2011-30.06.2016

01.01.2005 तक

31.12.2017 तक।

वकीलों के खंड 3 को चुनौती दी गई

वी. श्याम मोहन,

4

कक्ष (आवंटन और अधिभोग)

डब्ल्यूपी (सी) सं. 844/2018

नियम क्योंकि यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है,

19 (1) (ग) और अनुच्छेद 19 (1Xg) के रूप में

आदेश देता है कि आवेदक एक होना चाहिए

एस. सी. बी. ए. के सदस्य।

सहदेव सिंह, डब्ल्यू. पी. (सी)

अवधि को ध्यान में रखें

5

2018 का सं. 941

01.01.2004 - 31.05.2011 ब्लॉक में अवधि।

शिरीन खजुरिया, डब्ल्यूपी (सी) (आई) एओआर को आवेदन करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

6

गैर-एओआर की श्रेणी में।

नं. 917/2018

((ii) तीसरी श्रेणी का नाम बदलकर

अधिवक्ता।

वी. मोहना, डब्ल्यूपी (सी) नं. कट-ऑफ तिथि 31.06.2016 से बढ़ाएँ

7

997/2018

और वैकल्पिक रद्द करने के नोटिस में

दिनांकित 16.05.2018, इस आधार पर कि खंड 3 बी अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है और

19 .

आर. के. सिंह, डब्ल्यू. पी. (सी) नं. 01.01.2004 के रूप में ली जाने वाली ब्लॉक तिथि -

8

31.12.2017

975/2

018 [2018] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जयक्रिती एस. एस. जडेजा और अन्य। , कट-ऑफ अवधि तब तक बढ़ाई जाए जब तक

9

डब्ल्यूपी (सी) सं. 947/2018

31.12.2017 .

एम. आर. शमशाद, डब्ल्यू. पी. (सी) नं. 2 (ए) की शर्त को रद्द करना

10

नोटिस

आमंत्रित करना

998/2018

संशोधित

आवंटन के लिए आवेदन

वकीलों के कक्ष दिनांकित

16.05.2018 .

विक्रम गुलाटी, डब्ल्यू. पी. (सी) सं. (i) ब्लॉक अवधि में परिवर्तन

11

1063/2018

01.06.2011-30.06.2016

से

01.01.2004 31.12.2017

तक।

((ii) इस पर जोर न देना

उसके नाम की शर्त

एस. सी. बी. ए. की मतदाता सूची

और

एन. सी. आर. को शामिल करें

निवास।

(iii) कैलेंडर वर्ष से होना चाहिए

जून से मई और कट-ऑफ

अवधि अब तक बढ़ाई जाए

31.12.2017 .

दिव्येश प्रताप सिंह, डब्ल्यू. पी. (सी) कट-ऑफ अवधि को अब तक बढ़ाया जाए।

12

30.08.2018 .

नं. 1058/2018

13. उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि निम्नलिखित मुद्दे हैं -

इन रिट याचिकाओं में उठाए गए:

((i) अवरोध अवधि में बदलावः 16 मई, 2018 की सूचना में उल्लेख किया गया है

1 जून, 2011 से 30 जून, 2016 तक ब्लॉक अवधि। विभिन्न याचिकाकर्ताओं ने विभिन्न खंड अवधियों का सुझाव दिया है जो हैंः (क) ब्लॉक अवधि 1 जनवरी, 2005 से 17 अक्टूबर, 2017/16 मई, 2018 होनी चाहिए; (ख) 1 जनवरी, 2005 से 31 दिसंबर, 2017; (ग) 1 जनवरी, 2004 से 31 मई, 2011 की अवधि को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए; और (घ) 1 जनवरी, 2004 से 31 दिसंबर, 2017।

(ii) दिनांक 16 मई, 2018 के नोटिस में उल्लिखित कैलेंडर वर्ष से है

जून से जून। सुझाव है कि इसे जनवरी से दिसंबर के रूप में लिया जाना चाहिए।

(iii) आवंटन नियमों का खंड 3 जिसके अनुसार आवंटन किया जा सकता है।

केवल उन अधिवक्ताओं को नियुक्त किया जाए जो एस. सी. बी. ए. के सदस्य हैं अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क देकर चुनौती दी गई कि एस. सी. बी. ए. के अलावा, एक गोपाल जे. एच. ए. वी. है।

भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय [ए. के. सिकरी, जे.]

ए. ओ. आर. का संगठन भी, जिसे एस. सी. ए. ओ. आर. ए. के रूप में जाना जाता है और यह तब पर्याप्त होना चाहिए जब कोई व्यक्ति एस. सी. ए. ओ. आर. ए. का सदस्य हो। (iv) ए. ओ. आर. की न्यूनतम फाइलिंग की आवश्यकता और वरिष्ठ अधिवक्ताओं और अन्य अधिवक्ताओं द्वारा उपस्थिति पर भी सवाल उठाया जाता है।

इस संबंध में मुख्य तर्क यह है कि वर्ष 2004 में,

जब आवेदन आमंत्रित किए गए थे, तो आवश्यकता अलग थी और इसे बदला नहीं जाना चाहिए।

(v) एक आनुषंगिक मुद्दा भी उठाया जाता है कि क्या उच्चतम न्यायालय को विशेष आदेश जारी करके कक्षों के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित करने चाहिए।

समय-समय पर नोटिस या यह एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए।

14. इन याचिकाओं में नोटिस जारी किए गए थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पंजीयक ने इनमें से कुछ रिट याचिकाओं में उत्तर शपथ पत्र दायर किए हैं।

जिसमें उठाए गए सभी मुद्दे शामिल हैं। यह, अन्य बातों के साथ-साथ, कहा गया है कि चेंबर आवंटन समिति जिसमें विद्वान अटॉर्नी जनरल शामिल हैं

भारत, एक अध्यक्ष और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और माननीय के रूप में। एस. सी. बी. ए. और एस. सी. ए. ओ. आर. ए. के सचिवों ने सदस्यों के रूप में 18 नवंबर, 2015 को आयोजित अपनी बैठक में एजेंडा मद संख्या 10 के माध्यम से कक्षों के आवंटन के लिए वकीलों को सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाली अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी दी। इस प्रस्ताव के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर सहमति बनी कि ब्लॉक अवधि 1 जनवरी, 2009 से 31 दिसंबर, 2014 तक होनी चाहिए। उपरोक्त सिफारिशों के तुरंत बाद, कई पत्र /

रजिस्ट्री द्वारा ब्लॉक अवधि में बदलाव के लिए अनुरोध करते हुए अधिवक्ताओं से अभ्यावेदन प्राप्त किए गए थे। भारत के लिए विद्वान अटॉर्नी जनरल की अध्यक्षता में चैंबर आवंटन समिति ने 11 मई, 2016 को फिर से एक बैठक बुलाई और विचार के बाद, अधिवक्ताओं के अनुरोधों को एजेंडा आइटम नंबर 2 के माध्यम से, अन्य बातों के साथ, ब्लॉक अवधि के संबंध में निम्नानुसार हल किया गयाः

" समिति ने कार्यालय रिपोर्ट के संबंध में उपरोक्त पत्रों का अवलोकन किया और संकल्प लिया कि चूंकि वर्ष 2015 पहले ही बीत चुका है, इसलिए पहले से स्वीकृत ब्लॉक अवधि (01.01.2009 से 31.12.2014) को अब नए ब्लॉक अवधि (01.01.2010 से 31.12.2015) में बदला जा सकता है ताकि अधिक से अधिक योग्य अधिवक्ता आवेदन कर सकें।

15. उपरोक्त सिफारिशें इसके लिए रखी गई थीं -

वकीलों के कक्षों के आवंटन को मंजूरी देने के लिए माननीय न्यायाधीश समिति के समक्ष अनुमोदन और आदेश और उसके बाद, सीजेआई के समक्ष भी रखे गए। इस संबंध में रजिस्ट्री द्वारा की गई टिप्पणियां भी [2018] 13 एस. सी. आर. थीं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11 जुलाई, 2016 को माननीय न्यायाधीश समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। रजिस्ट्री द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करते हुए कि प्रगति मैदान में कक्ष 2017 के अंत में किसी समय उपलब्ध होंगे और यदि ब्लॉक अवधि वर्ष 2015 तक सीमित है जैसा कि भारत के लिए विद्वान अटॉर्नी जनरल की अध्यक्षता वाली चैंबर आवंटन समिति द्वारा हल किया गया है, तो जो अधिवक्ता 2015 के बाद न्यूनतम उपस्थिति पूरी कर सकते हैं, वे आवंटन के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं और इसलिए, इसे विचार के लिए प्रस्तुत किया गया था, यदि ब्लॉक अवधि 31 दिसंबर, 2015 या 30 जून, 2016 या कुछ अन्य तिथियों तक होनी चाहिए।

16. माननीय न्यायाधीश समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ अनुशंसा की कि ब्लॉक अवधि को बदला जा सकता है ताकि इसे 1 जून, 2011 से 30 जून, 2016 तक किया जा सके। तत्कालीन सीजेआई ने 28 जुलाई, 2016 के आदेश के माध्यम से भी इसे मंजूरी दी थी। तदनुसार, कक्षों के आवंटन के लिए वकीलों के पैनल में शामिल करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए 31 अक्टूबर, 2017 की अधिसूचना जारी की गई थी।

17. चूंकि, इस अधिसूचना के खिलाफ कुछ अधिवक्ताओं और यहां तक कि एस. सी. बी. ए. से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। ये प्रस्तुतियाँ

27 मार्च, 2018 को न्यायाधीश समिति के समक्ष। हालाँकि, न्यायाधीश समिति ने इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। पहले से ही अधिसूचित ब्लॉक अवधि यानी 1 जून, 2011 से 30 जून, 2016 को अपरिवर्तित रखने की सिफारिश की गई थी, जबकि कुछ सिफारिशें थींः स्वीकार कर लिया। हालांकि, इससे पहले कि न्यायाधीश समिति की उपरोक्त सिफारिश पर सीजेआई द्वारा विचार किया जा सके, एससीबीए ने फिर से अपने अनुरोध को दोहराया। इसी वजह से न्यायाधीशों की समिति फिर से इकट्ठी हुई

9 मई, 2018 को राष्ट्रपति और हॉनी को सुनवाई दी गई। एस. सी. बी. ए. के सचिव न्यायाधीश समिति, हालांकि, ब्लॉक अवधि को बदलने के लिए सहमत नहीं थी, लेकिन निम्नलिखित परिवर्तनों की सिफारिश कीः

" पिछले पांच वर्षों की खंड अवधि में लगातार दो वर्षों में न्यूनतम संख्या में फाइलिंग और या उपस्थिति की आवश्यकता के अलावा, एक आवेदक जो अन्यथा पिछले पांच वर्षों की खंड अवधि में लगातार दो वर्षों में भी अपेक्षित संख्या में फाइलिंग और या उपस्थिति के मानदंडों को पूरा करता है, वह भी पात्र होगा बशर्ते वह पिछले पांच वर्षों की पूरी खंड अवधि के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की मतदाता सूची में हो।

पाँच साल।

पाल झा बनाम। भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय [ए. के. सिकरी, जे.]

" ..... कि ऐसी याचिकाएँ जिनका न्यायालय द्वारा डायरी संख्या के साथ निपटारा किया जाता है, उन्हें भी अपेक्षित संख्या की गणना के लिए माना जा सकता है।

" ..... कि जनहित याचिकाओं में अंतरिम आवेदन जो मूल आवेदन हैं और न्यायालय द्वारा इस तरह से तय किए गए हैं, उन्हें भी दाखिल करने और या पेश होने की अपेक्षित संख्या के लिए गिना जाएगा। 18. इसके कारण 16 मई, 2018 को संशोधित नोटिस जारी किया गया। एस. सी. बी. ए. ने 18 जुलाई, 2018 को एक और अभ्यावेदन दिया। इस बीच, कुछ रिट याचिकाएं भी दायर की गईं जिनमें नोटिस जारी किया गया था। तदनुसार, न्यायाधीश समिति ने 30 जुलाई, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में निम्नलिखित निर्णय लियाः

" समिति समझती है कि चैंबरों के आवंटन का मुद्दा माननीय न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष विचाराधीन है। निम्नलिखित आदेश था

पीठ द्वारा आज पारित किया गयाः

' नोटिस जारी करें, जो दो सप्ताह में वापस किया जा सकता है।

इसके अलावा, दस्ती की भी अनुमति है।

उत्तरदाता अगले आदेश से पहले अपना जवाब दाखिल करने का प्रयास करेंगे।

सुनवाई का दिन।

हमें सूचित किया जाता है कि 31.07.2018 कक्षों के आवंटन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि है। याचिकाकर्ता यहाँ अपने आवेदन कर सकते हैं जिन्हें प्राप्त/स्वीकार किया जा सकता है।

अस्थायी रूप से और अलग रखा गया। इन परिस्थितियों में समिति को लगता है कि जब तक लंबित मामले का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक इस मामले से निपटना अनुचित होगा।

न्यायिक पक्ष "।

आम सहमति।20. जब 4 अक्टूबर, 2018 को मामलों पर विचार किया गया, तो ए. एस. जी. ने विभिन्न मुद्दों के समाधान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उक्त 'नोट' में दिया गया संकेत इस प्रकार हैः

" 1 .

.....

(i) उपरोक्त सभी 3 श्रेणियों से संबंधित एस. सी. बी. ए. के सदस्यों को कक्षों के आवंटन के अनुरोध पर विचार उन सभी के लिए होना चाहिए जो उपरोक्त 3 श्रेणियों में व्यक्तिगत संबंधित मानदंडों को पूरा करते हैं। 30 सितंबर, 2018।

(ii) दूसरे शब्दों में, कोई भी सदस्य अधिवक्ता, जो 30 सितंबर, 2018 तक प्रति वर्ष 50 उपस्थिति की आवश्यकता को पूरा करता है, सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में कक्ष के आवंटन के लिए आवेदन जमा करने का हकदार होगा और ऐसा प्रत्येक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। रजिस्ट्री 30 सितंबर, 2018 से पहले किसी भी समय 730 दिनों (2 साल की निरंतर अवधि) की अवधि पर विचार करेगी और प्रासंगिक मानदंडों की पूर्ति से संतुष्ट होने पर, विचार के लिए आवेदन स्वीकार करेगी।

कक्ष के आवंटन का।

2. इसी तरह, उन सभी सदस्य ए. ओ. आर. एस. के लिए जो अपना आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं।

30.9.2018 द्वारा आवेदन को दो साल के लिए एक वर्ष की अवधि में न्यूनतम 20 फाइलिंग या 50 उपस्थिति को पूरा करने की आवश्यकता होगी, 30 तारीख को किसी भी अवधि के 730 दिनों की अवधि में न्यूनतम 40 फाइलिंग या 100 उपस्थिति की रजिस्ट्री को संतुष्ट करना होगा।

सितम्बर, 2018। चैंबरों के आवंटन के लिए उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा भी ऐसे आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि एस. सी. बी. ए. के सदस्य द्वारा चैंबर के आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत करना संबंधित सदस्य द्वारा चुनी गई पात्रता के किसी भी मानदंड पर हो सकता है। इसमें,

इसके बावजूद कि सदस्य एक ए. ओ. आर. या एक नामित सीनियर है।

अधिवक्ता, कक्ष के आवंटन के लिए आवेदन हो सकता है गैर-एओआर के लिए पात्रता के मानदंड, एओआर की पात्रता के लिए मानदंड और एक वरिष्ठ अधिवक्ता की पात्रता के लिए मानदंड जैसे किसी भी मानदंड पर प्रस्तुत किया गया। हालांकि, ऐसे किसी भी सदस्य को चैंबर का आवंटन 7 के कोटे से होगाः 10 या 2: 10 या 1: 10 , सदस्य द्वारा धारण की गई स्थिति के आधार पर, जैसा भी मामला हो

वर्तमान में। 3. इसी तरह, 30.9.2018 की यह कट-ऑफ तिथि आवेदन करने के लिए सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं की श्रेणी पर लागू होगी, जिसमें

उस श्रेणी के लिए मानदंड।

पाल झा बनाम। भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय [ए. के. सिकरी, जे.]

4. 30.9.2018 की यह कट-ऑफ तिथि किसी भी संशोधन के अधीन होगी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या तो 20.9.2018 के लिए निर्धारित सुनवाई में या उसके बाद की किसी भी तारीख में किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, 30.9.2018 के रूप में प्रस्तावित अंतिम कट-ऑफ तिथि उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रकार तय की गई तारीख तक प्रतिस्थापित हो जाएगी। अधिवक्ताओं की उपर्युक्त अलग-अलग श्रेणियों में पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए 730 दिनों की अवधि को 2004 में अंतिम कट-ऑफ तिथि से 30 सितंबर, 2018 तक या किसी अन्य अवधि में गिना जाएगा।

अन्य तिथि जो उच्चतम न्यायालय द्वारा तय की जा सकती है।

5. एस. सी. बी. ए. की ओर से यह दृढ़ सुझाव है कि कक्षों के आवंटन के लिए आवेदन जमा करने/जमा करने की प्रक्रिया एस. सी. बी. ए. के सदस्य, उपर्युक्त 3 श्रेणियों में से किसी में भी, एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए, अर्थात, जब भी एस. सी. बी. ए. का कोई सदस्य 3 श्रेणियों में से किसी एक को पूरा करता है।

उसका आवेदन रजिस्ट्री द्वारा स्वीकार किया जाएगा। इससे ऐसे आवेदनों को आमंत्रित करने के लिए अवधि शुरू करने के संबंध में अनिश्चितता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। निरंतर आधार पर पूरे वर्ष आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया/तंत्र एक मानक है जिसका लगभग हर उच्च न्यायालय में पालन किया जा रहा है। एस. सी. बी. ए. के सदस्यों के लिए लगातार सक्रिय रहने के लिए इस तरह की प्रक्रिया के तंत्र/कार्यप्रणाली को अपनाना फायदेमंद होगा और इस पूरी प्रक्रिया में संभावित विसंगतियों और अड़चनों को भी दूर करेगा। 6. जहां तक ए. ओ. आर. एस. का संबंध है, जिन्होंने किसी भी राज्य सरकार आदि के लिए ए. ओ. आर. के रूप में काम किया है, संबंधित राज्य सरकार के लिए दाखिल करने को भी सालाना 20 फाइलिंग के मानदंडों को पूरा करने की दिशा में लिया जाएगा।

7. इसी तरह, वे सभी सदस्य अधिवक्ता (गैर-एओआर), जो सरकारी पैनल के साथ बने हुए हैं,

सरकारी मामलों को भी कक्षों के आवंटन के लिए पात्र बनने के लिए एक वर्ष में 50 उपस्थिति की पात्रता को पूरा करने के लिए गिना जाएगा।

इन दोनों मामलों में, सरकार के लिए दाखिल करना और/या सरकार के लिए पेश होना, आई. ए. दाखिल करना और आई. ए. में पेश होना नहीं गिना जाएगा। इसी तरह, [2018] 13 एस. सी. आर. से पहले उपस्थिति।

परीक्षा में, उन्हें एओआर श्रेणी में कक्षों के आवंटन के लिए पात्र माना जाएगा और उनके पक्ष में कक्ष का आवंटन केवल 7 के कोटे से होगाः 10 कक्षों का अर्थ है एओआर कोटा के लिए।

9. इसी तरह, वे सभी सदस्य अधिवक्ता जिन्होंने पहले के अवसर पर कक्षों के आवंटन के लिए अपने आवेदन जमा किए थे, या तो एओआर की श्रेणी में या अधिवक्ता (गैर-अधिवक्ता) की श्रेणी में।

उन्हें 1 के कोटे से आवंटित करना होगाः 10 वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेणी में, तब भी जब कक्षों के आवंटन के लिए विचार करने के लिए उनकी पात्रता या तो ए. ओ. आर. के रूप में या गैर-ए. ओ. आर. में एस. सी. बी. ए. के अधिवक्ता सदस्य के रूप में प्राप्त की गई थी। श्रेणी "।

21. जहाँ तक आवंटन नियमों के नियम 3 को चुनौती देने की बात है, अर्थात्, एस. सी. बी. ए. का सदस्य होने पर विचार करने से पहलेतीन श्रेणियों में से किसी में भी कक्षों का संबंध नहीं है, यह कहा जाता है कि उन्हें बनाए रखा जाए क्योंकि उनके अनुसार, कोई नहीं है

उक्त विवाद में।

22. पक्षों के वकील को सुनने के साथ-साथ

सानिंदर सिंह, विद्वान ए. एस. जी. और श्री विकास सिंह, अध्यक्ष, एस. सी. बी. ए., पारस 1 में निहित सुझावों को स्वीकार करना उचित समझते हैं।

सुझावों के उपरोक्त 'नोट' के 6 से 9 तक।

23. यह हमें निम्नलिखित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए छोड़ देता हैः (क) अवरोध अवधि में परिवर्तन।

(ख) आवंटन नियमों के 3 में निहित एस. सी. बी. ए. की सदस्यता की शर्त की वैधता।

गोपाल झा बनाम। भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय [ए. के. सिकरी, जे.]

(ग) नियम 3 में निहित दिल्ली/नई दिल्ली में एक अधिवक्ता के निवासी की स्थिति की वैधता।

24. ब्लॉक अवधि में बदलावः हम पहले ही स्वीकार कर चुके हैं

टिप्पणी के 1,2 और 3 सुझाव। नोट के पैराग्राफ 4 में हालांकि उल्लेख किया गया है कि पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए 730 दिनों की अवधि है। इसकी गणना 2004 में अंतिम कट-ऑफ तिथि से 30 सितंबर, 2018 तक की जाएगी। इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह सीमा से बहुत दूर है और इसका किसी अधिवक्ता की सक्रिय अभ्यास आवश्यकता से कोई संबंध नहीं हो सकता है, जिसके लिए आवेदन करने की तारीख के साथ निकटता हो।

आवंटन आमंत्रित किए जाते हैं। इस बात पर शायद ही जोर दिया जाना चाहिए कि पूर्व-आवश्यकता

कक्ष के आवंटन के लिए यह है कि संबंधित अधिवक्ता सक्रिय व्यवहार में होना चाहिए। यही कारण है कि सदस्य अधिवक्ताओं के लिए पात्रता मानदंड ब्लॉक वर्ष में प्रति वर्ष 50 उपस्थिति की आवश्यकता है; एओआरएस के लिए, यह दो साल के लिए एक वर्ष की अवधि में न्यूनतम 20 फाइलिंग या 50 उपस्थिति और एक वर्ष में न्यूनतम 40 फाइलिंग या 100 उपस्थिति है। 730 दिनों की अवधि। हालाँकि, यदि कट-ऑफ तिथि वर्ष 2004 से शुरू होती है, तो यह उद्देश्य कई मामलों में खो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप उन लोगों को कक्ष आवंटित किए जा सकते हैं जो आज तक सक्रिय नहीं हैं। ऐसे मामले हो सकते हैं जहां गैर-एओआर या एओआर वर्ष 2004 से शुरू होने वाले पहले 730 दिनों में उपस्थिति/फाइलिंग की शर्तों को पूरा कर सकता है, यानी वर्ष 2004-2005 के दौरान और उसके बाद वह कोई उपस्थिति या फाइलिंग नहीं कर सकता है।

या इस तरह की उपस्थिति/फाइलिंग नगण्य हो सकती है। फिर भी वह बन जाएगा चैंबर के आवंटन के लिए हकदार। यह ऐसे अधिवक्ताओं को लाएगा

जो हाल के दिनों में सक्रिय अभ्यास में नहीं हो सकते हैं। ऐसी स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए, हम जून से खंड अवधि तय करने के लिए न्यायाधीशों की आवंटन समिति द्वारा लिए गए निर्णय में तर्कसंगत पाते हैं।

01 , 2011 30 जून, 2016 तक, जैसा कि 16 मई, 2018 के संशोधित नोटिस में निहित है। ब्लॉक अवधि तय करना जो आवंटन के लिए आवेदन करने के लिए सूचना के निकट है। इसलिए, वर्ष 2004 से कट-ऑफ तिथि शुरू करना अस्वीकार्य है।

25. चूंकि, कुछ समय बीत चुका है जब न्यायाधीशों की आवंटन समिति द्वारा ब्लॉक अवधि तय की गई थी और हमने इसके लिए तारीख बढ़ा दी है। आवेदन करते हुए, केवल एक संशोधन किया जा सकता है जो 1 अक्टूबर, 2013 से 30 सितंबर, 2018 तक ब्लॉक अवधि को रखना है। यह इस अवधि के दौरान है कि आवेदक को ऊपर बताए गए मानदंडों और उपस्थिति या फाइलिंग को पूरा करना होगा।

8] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

26. हम नोट के पैरा 5 में दिए गए इस सुझाव को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि कक्षों का आवंटन एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए। अतीत में आवेदन आमंत्रित करने की लगातार प्रथा रही है

समय-समय पर जब भी वकीलों के कक्ष आवंटन के लिए उपलब्ध होते हैं। इसे बनाए रखा जाना चाहिए क्योंकि यहाँ से जाने का कोई कारण नहीं है। एक ही। अन्यथा, निकटवर्ती ब्लॉक अवधि निर्धारित करने का उद्देश्य भी विफल हो जाएगा। साथ ही, हम यह भी पाते हैं कि इस तरह के अंतिम आवेदन वर्ष 2004 में आमंत्रित किए गए थे और उसके बाद काफी अवधि समाप्त हो गई है। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में ऐसी स्थिति न हो, हमारी राय है कि ऐसे आवेदन आमंत्रित करने की सूचना कम से कम तीन साल में एक बार होनी चाहिए।

27. आवंटन नियमों के नियम 3 की वैधताः इस नियम के अनुसार, कक्षों के आवंटन के लिए आवेदन करने के लिए एस. सी. बी. ए. की सदस्यता आवश्यक है।

जो 2018 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 844 में रिट याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि एस. सी. ए. ओ. आर. ए. भी एस. सी. बी. ए. की तरह एक प्रतिनिधित्व निकाय है और इसलिए, इनमें से किसी भी निकाय की सदस्यता किसी व्यक्ति को कक्षों के आवंटन के लिए विचार करने के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। यह. यह तर्क दिया गया कि एस. सी. ए. ओ. आर. ए. भी एक जीवंत निकाय था जिसका गठन ए. ओ. आर. के कल्याण के लिए किया गया था। इसलिए, वकीलों के कक्ष नियमों के आवंटन में उपाय जो एस. सी. बी. ए. के सदस्यों को कक्षों के आवंटन के लिए पात्रता को प्रतिबंधित करता है और उन लोगों को बाहर करता है जो हैं

केवल एस. सी. ए. ओ. आर. ए. के सदस्य स्पष्ट रूप से मनमाने हैं। शायरा बानो बनाम में इस न्यायालय के फैसले पर रिलायंस को इस संबंध में रखा गया है। भारत संघ ', जहाँ यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" 87. तर्कसंगतता का धागा पूरे क्षेत्र में चलता है।

मौलिक अधिकार अध्याय। जो स्पष्ट रूप से मनमाना है वह है

स्पष्ट रूप से अनुचित और कानून के शासन के विपरीत होने से अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। इसके अलावा, मैकडॉवेल [स्टेट ऑफ ए. पी. v. में तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में एक स्पष्ट विरोधाभास है। मैकडॉवेल एंड कंपनी, (1996) 3 एस. सी. सी. 709] जब यह कहा जाता है कि एक संवैधानिक चुनौती इस आधार पर सफल हो सकती है कि एक कानून "असमान, अत्यधिक या अनुचित" है, फिर भी ऐसी चुनौती कानून के "अनुचित" होने के आधार पर विफल हो जाएगी।

1 (2017) 9 एस. सी. सी. 1 गोपाल झा बनाम

अनावश्यक या अनुचित "। मनमानी सिद्धांत जब कानून पर लागू होता है तो स्पष्ट रूप से बाद वाले को शामिल नहीं करता है।

लेकिन इसमें केवल एक कानून का असमान, अत्यधिक या अन्यथा स्पष्ट रूप से अनुचित होना शामिल होगा। अतः उपरोक्त सभी आधार अपने विभिन्न रूपों में राज्य की कार्रवाई के बीच अंतर करने का प्रयास नहीं करते हैं, जो सभी व्यक्तियों को गारंटी दिए गए मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में बाधित हैं और

संविधान के भाग III में नागरिक "।

28. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह प्रावधान अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है और साथ ही इसने अनुचित वर्गीकरण बनाया है। इसके परिणाम

यह अनुचित वर्गीकरण इस प्रकार होगाः

(i) सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और अन्य में इस न्यायालय के फैसले के परिणामस्वरूप। वी. बी. डी. कौशिक 2, केवल कुछ सदस्य

एस. सी. बी. ए. को चुनावों में मतदान करने की अनुमति है, क्योंकि उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में गंभीर और नियमित चिकित्सकों के रूप में माना जाता है। हालाँकि, वकीलों के चैंबर नियमों के आवंटन के नियम 3 में ऐसा कोई भेद नहीं है और इसलिए, एस. सी. बी. ए. के वे सदस्य जो अपने स्वयं के संघ में मतदान करने के लिए अयोग्य हैं, वे सर्वोच्च न्यायालय के चैंबर आवंटित किए जाने के पात्र हैं।

((ii) यदि किसी एस. सी. बी. ए. सदस्य को किसी कारण से निष्कासित किया जाना था,

उदाहरण के लिए, यदि कोई एस. सी. बी. ए. सदस्य इस आधार पर एस. सी. बी. ए. द्वारा अवैध हड़ताल के आह्वान में भाग नहीं लेता है कि यह इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले के विपरीत होगा। हरीश उप्पल बनाम। भारत संघ और Anr.[3], ऐसा सदस्य उच्चतम न्यायालय में एक कक्ष के लिए आवेदन करने के लिए अयोग्य होगा, जिसके फैसले का उसने पालन करने की मांग की है।

(iii) याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि कक्षों का आवंटन भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उन अधिवक्ताओं को दिया गया एक विशेषाधिकार है।

29. यह भी प्रस्तुत किया गया कि ऐसा वर्गीकरण जो सर्वोच्च न्यायालय के नियम, 2013 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 (1) (ए) के तहत निर्धारित उन अधिवक्ताओं के संघ को बाहर करता है,

2 (2011) 13 एस. सी. सी. 774

3 (2003) 2 एससीसी 45 [2018] 13 एस. सी. आर.

अनुचित और इच्छित वस्तु के साथ कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है

प्राप्त किया गया, अर्थात, उच्चतम न्यायालय के नियमित व्यवसायियों को कक्षों का आवंटन। श्री शंकरनारायणन इस हद तक गए कि

यह तर्क देते हुए कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय के प्रशासन में ए. ओ. आर. की भूमिका को देखते हुए, यह प्रकृति में एस. सी. बी. ए. से भी अधिक महत्वपूर्ण था। यह प्रस्तुत किया गया था कि ए. ओ. आर. को प्रमुख पद दिया गया है क्योंकि वेः

((i) उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रशासित परीक्षा लें;

(iii) अधिवक्ताओं के किसी भी अन्य वर्ग के विपरीत, कार्यालय स्थान, खातों के रखरखाव और विवरणी दाखिल करने के संबंध में सख्त शर्तों का पालन करें। ((iv) 1964 के बाद से इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। इसे चैंबर आवंटन नियमों द्वारा भी स्वीकार किया जाता है जो ए. ओ. आर. के लगभग 70 प्रतिशत चैंबरों को निर्धारित करता है।

30. उन्होंने आगे तर्क दिया कि विवादित नियम ए. ओ. आर. के लिए एस. सी. बी. ए. का सदस्य बनने की मजबूरी है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (सी) के तहत ऐसे अधिवक्ताओं के अधिकारों में प्रवेश करेगा, जो पहले से ही एस. सी. ए. ओ. आर. ए. के सदस्य हैं।

32. यह आगे तर्क दिया गया कि एस. सी. बी. ए. के इस तथ्य को, एक छत्र संघ होने के नाते, एस. सी. ए. ओ. आर. ए. द्वारा भी मान्यता दी गई थी जो परिलक्षित हुआ था। एस. सी. ए. ओ. आर. ए. के नियम और विनियम। इस गोपाल झा बनाम में ध्यान आकर्षित किया गया था।

इस ओर से, उक्त नियमों और विनियमों के नियम 4 के लिए, जो सदस्यता के लिए प्रवेश और योग्यता से संबंधित है और यह निर्धारित करता है कि एस. सी. ए. ओ. आर. ए. का सदस्य बनने के लिए, एस. सी. बी. ए. की सदस्यता। इस नियम का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

" 4. .....

A. सदस्य के रूप में नामांकन के लिए एक अधिवक्ता पर विचार किया जा सकता है

संगठन अगर

((ii) वह संघ के उद्देश्यों की सदस्यता लेने और संघ द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों का पालन करने का वचन देता है। समय-समय पर; और

((iii) उसे कार्यपालिका द्वारा सदस्यता के लिए उपयुक्त माना जाता है।

समिति "।

33. उपरोक्त प्रावधानों के आधार पर, उन्होंने तर्क दिया कि एओआर तब तक एससीएओआरए का सदस्य नहीं हो सकता जब तक कि वह एससीबीए का सदस्य न हो और इसलिए, याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया पूरा मुद्दा अकादमिक प्रकृति का था, क्योंकि याचिकाकर्ताओं का तर्क इस आधार पर आगे बढ़ता है कि जहां तक एओआर का संबंध है, एससीएओआरए की सदस्यता पर्याप्त होनी चाहिए।

34. यह भी प्रस्तुत किया गया था कि किसी को भी चैंबर का आवंटन प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है, जो एक मौलिक अधिकार से बहुत कम है और इसलिए याचिकाकर्ताओं को संविधान के अनुच्छेद 14,19 (1) (सी) और 19 (1) (जी) के प्रावधानों को लागू नहीं कर सकते। श्री विकास सिंह, समर्थन में, के फैसले पर भरोसा किया

इस न्यायालय ने विनय बालचंद्र जोशी बनाम. महापंजीयक, सुप्रीम

भारत का न्यायालय & Ors.4। यह उच्चतम न्यायालय के परिसर के भीतर कक्षों के आवंटन से संबंधित मामला था। याचिकाकर्ताओं की दलीलों में से एक यह थी कि सर्वोच्च न्यायालय परिसर के भीतर ए. ओ. आर. को कक्ष उपलब्ध नहीं कराना संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और इस तर्क को निम्नलिखित तरीके से खारिज कर दिया गया थाः

" 4. हम पहले रिट याचिका संख्या में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए तर्क पर विचार करेंगे। 883 और 1990 का 1223, जो नहीं बना रहा है

अधिवक्ताओं के लिए उपलब्ध कक्ष-ऑन-रिकॉर्ड

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्चतम न्यायालय परिसर उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत। यह प्रस्तुत किया गया था कि अनुच्छेद 19 (1) (जी) अन्य बातों के साथ-साथ किसी भी पेशे का अभ्यास करने के अधिकार की गारंटी देता है। इस प्रकार कानूनी पेशे का अभ्यास करना एक मौलिक अधिकार है।

उसके लिए यह उसके गारंटीकृत मौलिक अधिकार का एक अभिन्न अंग है। हम इस विवाद में कोई सार नहीं देखते हैं। भले ही हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि एक अधिवक्ता के रूप में वकालत करना एक मौलिक अधिकार है, न्यायालय परिसर के भीतर एक कक्ष आवंटित किए जाने का कोई अधिकार इससे नहीं मिलता है। एक कानूनी व्यवसायी/एक वकील एक कक्ष के बिना अपने कानूनी पेशे को जारी रख सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि उसका न्यायालय परिसर के भीतर एक कक्ष हो। जो केवल मौलिक अधिकार के प्रयोग को सुविधाजनक बनाता है, उसे माना नहीं जा सकता है। उस मौलिक अधिकार के अभिन्न अंग के रूप में। मौलिक अधिकार होने की जगह इसे अधिकार का दर्जा भी नहीं है। न ही कोई कानून किसी कानूनी पेशे के सदस्य को ऐसा अधिकार प्रदान करता है और न ही

ऐसी सुविधा को अन्यथा भी एक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। अदालत में वकालत करने वाले कानूनी पेशे के सदस्य के लिए एक कक्ष उपलब्ध कराना वास्तव में उसे अदालत द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधा है। यह अधिवक्ताओं द्वारा किए गए दावे की वास्तविक प्रकृति और चरित्र है-ऑन-रिकॉर्ड, उन्हें कक्ष नहीं देना संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि न तो विद्वान महान्यायवादी और न ही श्री नरीमन, श्री वेणुगोपाल और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इस तर्क का समर्थन किया और बहुत निष्पक्ष रूप से कहा कि हम जो विचार ले रहे हैं, अर्थात् यह न्यायालय द्वारा प्रदान की गई सुविधा है, वह सही दृष्टिकोण है। 5. चूँकि किसी अधिवक्ता को कक्ष की सुविधा प्रदान करना न्यायालय के अधिकार या कानूनी दायित्व का विषय नहीं है, इसलिए यह वास्तव में न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के विवेक का विषय होगा कि वह यह तय करे कि यह सुविधा उपलब्ध होने पर किसे और किस हद तक दी जानी चाहिए और उसका एकमात्र दायित्व निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से कार्य करना होगा, न कि मनमाने ढंग से। उसके लिए नियम बनाना, एक समिति नियुक्त करना और कक्षों के आवंटन के उद्देश्य से दिशा-निर्देश तय करना उचित हो सकता है, लेकिन दायित्व उचित तरीके से कार्य करने से अधिक नहीं है। गोपाल झा बनाम का फैसला करना उनका काम होगा।

कब, किसे, किस हद तक और किन नियमों और शर्तों पर उन्हें कक्ष आवंटित करने चाहिए।
35. नियमों में नियम 4 के अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए और

एस. सी. ए. ओ. आर. ए. के नियम, याचिकाकर्ताओं के मामले की पूरी इमारत ध्वस्त हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस न्यायालय में एस. सी. ए. ओ. आर. ए. की महत्वपूर्ण स्थिति है। हालांकि, हम कक्षों के आवंटन के मुद्दे से चिंतित हैं। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि एस. सी. ए. ओ. आर. ए. के सदस्यों को कक्षों के आवंटन के लिए पर्याप्त पात्रता माना जाना चाहिए। फिर भी, एस. सी. ए. ओ. आर. ए. का सदस्य बनने के लिए, एस. सी. ए. ओ. आर. ए. के नियमों और विनियमों के नियम 4 के अनुसार, एक अधिवक्ता को एस. सी. बी. ए. का सदस्य होना चाहिए। इसलिए, जब तक कोई अधिवक्ता ए. ओ. आर. और एस. सी. बी. ए. का सदस्य नहीं है, वह एस. सी. ए. ओ. आर. ए. का सदस्य नहीं बन सकता है। यह आवश्यकता स्वयं इस स्थिति को स्वीकार करती है कि एस. सी. बी. ए. एक छत्र संगठन है और यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 14 पर आधारित तर्क का कोई लाभ नहीं होगा।

36. प्रतिवादियों का यह कहना भी सही है कि कक्षों के आवंटन के लिए कोई मौलिक अधिकार या कोई वैधानिक अधिकार नहीं है

किसी भी न्यायालय परिसर में। विनय बालचंद्र जोशी में इस पहलू को पहले ही तय किया जा चुका है, जिसके बारे में प्रासंगिक चर्चा ऊपर पुनः प्रस्तुत की गई है। इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से दायर जवाबी हलफनामे में, विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए एस. सी. बी. ए. की सदस्यता के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि पुस्तकालय, पार्किंग, कैंटीन, चिकित्सा आदि जैसी सुविधाएं केवल संबंधित अदालतों के बार एसोसिएशन के सदस्यों के लिए उपलब्ध हैं और ऐसी शर्त देश के लगभग हर अदालत में प्रचलित है। जवाबी हलफनामा निम्नलिखित अभिकथन करता हैः

" 6. यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि आवंटन के किसी भी अक्षम्य अधिकार से कम कोई मौलिक और/या कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। किसी भी न्यायालय परिसर में कक्ष। तथापि, यह प्रस्तुत किया जा सकता है कि देश का प्रत्येक न्यायालय हमेशा (अपने संसाधनों और स्थान की उपलब्धता आदि के भीतर) अधिकतम सुविधाओं का विस्तार करने का प्रयास करता है।

एल. डी. न्याय के प्रशासन की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और इसे अधिक कुशल बनाने के लिए अधिवक्ता। यह भी एक तथ्य है, जैसा कि पिछले कई दशकों में देखा गया है कि एल. डी. किसी भी न्यायालय में वकालत करने वाले अधिवक्ता-बेहतर सहित कई कारणों से

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्याय प्रशासन की प्रक्रिया, बार एसोसिएशन का गठन करें

न केवल उनके आंतरिक मामलों के संचालन और विनियमन के लिए

सदस्यों के साथ समन्वय (एक एकीकृत वर्ग के रूप में) के लिए भी

सुधार प्राप्त करने और सुरक्षित करने के लिए न्यायालय के अधिकारी और

किसी भी न्यायालय में न्याय वितरण प्रणाली में सुधार। यह एक

आम जानकारी की बात है कि ऐसे बार एसोसिएशन हैं

अस्तित्व, आधुनिक न्यायालय प्रणाली की शुरुआत से ही

अपने सदस्यों के हितों का ध्यान रखना और उनके साथ समन्वय भी करना अपने सदस्यों के कल्याण के लिए उच्चतम न्यायालय के प्राधिकरण और

न्याय वितरण प्रणाली में और सुधार के लिए भी सुप्रीम कोर्ट।

XX

XX

XX

उपरोक्त के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, इसे सबसे सम्मानपूर्वक दोहराया जाता है

कि अधिवक्ताओं के अधीन अधिवक्ता के रूप में नामांकन प्राप्त करने के बाद अधिनियम, 1961- एल. डी. अधिवक्ता, विस्तार के लिए विचार के लिए

संबंधित न्यायालय परिसर में कुछ सुविधाओं को बाध्य किया जाता है।

स्थानीय बार एसोसिएशन के साथ सदस्यता प्राप्त करने के लिए, जो एक अतिरिक्त मंच/तंत्र भी प्रदान करता है (इसके अलावा और

स्वयं न्यायालय प्राधिकरणों के अतिरिक्त) सुविधा और विनियमन के लिए

एल. डी. का आचरण/कार्य। किसी से पहले अभ्यास करने वाले अधिवक्ता

कानून की अदालत। यह सबसे विनम्रता से प्रस्तुत किया जाता है कि प्रश्न करने की मांग करने वाली वर्तमान रिट याचिका में इसके विपरीत उठाया गया

उपर्युक्त नियम की शुद्धता और वैधता एल. डी. एस. सी. बी. ए. की सदस्यता प्राप्त करने के लिए अधिवक्ता

पूरी तरह से वैध और कानूनी "। 37. इसलिए, हम इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं

एस. सी. बी. ए. का सदस्य होने का सम्मान कक्षों के लिए आवेदन जमा करने के लिए।

38. याचिकाकर्ताओं का वैकल्पिक निवेदन यह है कि यदि नियम है

आईडी, एस. सी. ए. ओ. आर. ए. के उन सदस्यों को एक अवसर दिया जाना चाहिए,

अब तक एस. सी. बी. ए. के सदस्य नहीं बने हैं, आवेदन करने और बनने के लिए

एस. सी. बी. ए. के अब भी और उस शर्त पर, उनके आवेदन

लोटिंग कक्षों का मनोरंजन किया जाए। जहाँ तक यह प्रस्तुतिकरण गोपाल झा बनाम है।

भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय [ए. के. सिकरी, जे.]

संबंधित, एक बार जब याचिकाकर्ता या अन्य समान रूप से स्थित व्यक्ति एस. सी. बी. ए. के सदस्य बन जाते हैं, तो वे कक्षों के आवंटन के लिए अपना आवेदन करते समय कक्ष समिति से ऐसा अनुरोध कर सकते हैं और इस पर विचार करना कक्ष समिति का काम होगा। 39. आवंटन नियमों के नियम 3 में दिल्ली या नई दिल्ली में निवासी की आवश्यकता का प्रिस्क्रिप्शनः याचिकाओं में से एक में, यह

प्रावधान को चुनौती दी गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसमें कोई तर्क नहीं है

इस शर्त को निर्धारित करते हुए कि कक्ष के आवंटन के लिए पात्र बनने के लिए एक अधिवक्ता दिल्ली या नई दिल्ली का निवासी होना चाहिए। तर्क था

पिछले कुछ वर्षों में, दिल्ली की आबादी में तेजी से वृद्धि हुई थी, जिसके कारण लोगों को उत्तर प्रदेश में नोएडा या गाजियाबाद, हरियाणा में फरीदाबाद या गुरुग्राम जैसे आस-पास के क्षेत्रों में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि उपरोक्त प्रावधान करने का एकमात्र उद्देश्य यह था कि जो अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय में वकालत कर रहा है वह आसानी से काम कर सकता है।

उपलब्ध है और इसलिए, वह उच्चतम न्यायालय के आसपास रह रहा है। यह प्रस्तुत किया गया था कि ऊपर उल्लिखित कुछ क्षेत्र दिल्ली के कई क्षेत्रों की तुलना में सर्वोच्च न्यायालय के करीब हैं। इसलिए, इस तरह के प्रावधान ने अपनी तर्कसंगतता और उद्देश्य खो दिया है। 2018 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 1063 में याचिकाकर्ता प्रस्तुत करते हैं कि जहाँ तक वे हैं

यदि हवाई दूरी तय की जाती है, तो उनका निवास 16 किलोमीटर के दायरे में आता है क्योंकि वह इंदिरापुरम, गाजियाबाद (यू. पी.) में रहते हैं। याचिका यह है कि यदि निवासी सदस्य की परिभाषा को देखा जाता है, जैसा कि नियम 3 (ix) में परिभाषित किया गया है, तो इसका मतलब है कि दिल्ली या उसके उपनगरों और "उपनगरों" में रहने वाले और वकालत करने वाले सदस्य में स्पष्ट रूप से एन. सी. आर. भी शामिल है। इसलिए, वे सभी जो एन. सी. आर. में रह रहे हैं, उन्हें आवंटन के लिए पात्र बनाया जाना चाहिए

कक्ष। 40. हमारी राय है कि बदली हुई परिस्थितियों और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए

पिछले कुछ वर्षों में विकसित, कई अधिवक्ता जो सर्वोच्च न्यायालय सहित दिल्ली की अदालतों में पेश होते हैं, दैनिक आधार पर अपने आवासों से आते-जाते हैं जो पड़ोसी राज्यों में आते हैं। यह इस बात पर पुनर्विचार करने का समय है कि क्या आवंटन नियमों के नियम 3 में दिल्ली या नई दिल्ली में निवास की आवश्यकता को बनाए रखने की आवश्यकता है या इसे पड़ोसी राज्यों के कुछ क्षेत्रों में विस्तारित किया जाना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के आसपास के क्षेत्र के काफी करीब हैं। हो सकता है, उच्चतम न्यायालय से एक विशेष रेडियल दूरी तय करके, समस्या से निपटा जा सकता है। चूंकि इसके लिए कई पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता होगी, इसलिए हमारी राय है कि यह मुद्दा 546 है।

ए पर न्यायाधीशों की आवंटन समिति द्वारा विचार किया जा सकता है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद इस मुद्दे पर अंतिम विचार करना समिति का काम है।

41. इन सभी रिट याचिकाओं का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।

बी.

दिव्या पांडे